



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 वैशाख 1947 (श10)

(सं० पटना 320) पटना, वृहस्पतिवार, 24 अप्रील 2025

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

22 अप्रील 2025

एस० ओ० 81, दिनांक 24 अप्रील 2025— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 206 दिनांक 23.12.2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक सं० 970 दिनांक 23.12.2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में पांचवें परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीनकर अवधि दिसंबर, 2024 के लिए विवरणी प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित पंजीकृत व्यक्तियों के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की समय-सीमा माह जनवरी, 2025 के तेरहवे दिन तक बढ़ाई जाएगी और उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए, जिन्हें अक्टूबर से दिसंबर, 2024 की कर अवधि के लिए उक्त उपधारा के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, माह जनवरी, 2025 के पंद्रहवे दिन तक बढ़ाई जाएगी।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी, 2025 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-20)1756)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

22 अप्रैल 2025

एस० ओ० 81, दिनांक 24 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-20)1756)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 22nd April 2025

S.O. 81, Dated The 24th April 2025—In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the Commercial Taxes Department notification no. S.O. 206 Dated 23.12.2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide no. 970, dated 23.12.2020, namely:—

In the said notification, after the fifth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the said rules for the registered persons required to furnish return under sub-section (1) of section 39 of the said Act for the tax period December, 2024, shall be extended till the thirteenth day of January, 2025 and for the registered persons who are required to furnish return under proviso of the said sub-section, for the tax period October to December, 2024, shall be extended till the fifteenth day of January, 2025.”

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of January 2025.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-20) 1756)]

By the order of Governor of Bihar,

SANJAY KUMAR SINGH,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 320-571+10-डी0टी0पी01

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>